कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail add : apccfng@mpforest.org 0755-2674238 (O) Fax 0755-2575887 Mobile No. 94251 47644

क्रमांक/क्षे. स्था.02/2324 भोपाल, दिनांक 27.05.16

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक
(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषयः वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 के अंतिम परिणाम अनुसार वनरक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा वन विभाग के लिए वनरक्षकों की भर्ती हेतु अगस्त 2015 में परीक्षा आयोजित की गई थी तथा उसी के आधार पर माह फरवरी 2016 में आपके द्वारा शारीरिक अर्हता का परीक्षण किया गया था। व्यापम द्वारा दिनांक 18–05–2016 को उनकी बेवसाईट पर अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है जहां चयनित अभ्यार्थी अपनी चयन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

व्यापम द्वारा इस कार्यालय को चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यार्थियों की प्रवर्गवार सूची भी उपलब्ध करा दी गई है, जो शासकीय ई–मेल के माध्यम से आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। जिलावार चयन सूची के आधार पर प्रत्येक जिले में सक्षम नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त औपचारिकताऍं पूर्ण करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही की जाना चाहिए। जिन जिलों में एक से अधिक वनमण्डल है वहां मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा विभिन्न वनमण्डल/राष्ट्रीय उद्यानों को उनके रिक्त पदों की स्थिति अनुसार अभ्यार्थियों का समानुपतिक वितरण किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय पार्क संचालकों से परामर्श भी किया जाना चाहिए, जिससे संरक्षित क्षेत्र में रिक्त पदों की समाधानकारक पूर्ति हो सके।

2/ वनरक्षक भर्ती के रिक्त पदों का विवरण श्रेणीवार एवं संवर्गवार क्षैतिज आरक्षण की स्थिति व्यापम की परीक्षा संचालन एवं नियम पुरितका के साथ परिशिष्ट–1 में प्रकाशित की गई है । चयन सूची के अनुसार सभी अभ्यार्थियों को तत्काल आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा प्रवर्गवार रोस्टर का पालन करते हुए

रिक्त पदों के विरूद्ध अधिसूचित संख्या तक नियुक्ति की कार्यवाही की जाना चाहिए। रोस्टर का संधारण केवल जिले के नोडल वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। अतः एक ही जिले के अलग अलग वनमडलों में रोस्टर पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

3/ नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही उसी वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी द्वारा की जाना चाहिए जिस वनमण्डल में अभ्यार्थियों को प्रथम नियुक्ति दी जा रही हैं अर्थात नोडल वनमण्डलाधिकारी केवल रोस्टर के अनुसार अभ्यार्थियों का रोस्टर संधारण सुनिश्चित करेगें, नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित वनमण्डल द्वारा ही की जायेगी। एक जिले में नियुक्त होने वाले अभ्यार्थियों की पारस्परिक वरियता व्यापम द्वारा जारी मेरिट के अनुसार ही निर्धारित की जायेगी न कि उनके नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि या उनकी उपस्थित होने की तिथि के आधार पर।

4/ व्यापम द्वारा प्रकाशित परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम की प्रति आपके पास पूर्व से ही उपलब्ध है जिसका भली भांति अध्ययन किया जाना चाहिए। परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती के दस्तावेज/प्रमाण पत्र आदि का विधिवत नियुक्ति पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए। यथासंभव अभ्यार्थियों के ई–मेल, मोबाईल नं0, वोटर आई.डी, आधार कार्ड आदि भी प्राप्त किया जाना चाहिए तथा सेवा अभिलेखों की नस्ती में रखा जाना चाहिए।

5/ मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 02–11–1985 की कंडिका 4 (3) के अनुसार स्पष्ट किया जाता है कि प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर क्षैतिज आरक्षण के रिक्त पदों पर चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जाना चाहिए। परन्तु, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची से सभी अभ्यार्थियों की नियुक्ति के बाद भी यदि क्षैतिज आरक्षण के पद रिक्त रह जाते है तो ऐसे पदों की संबंधित प्रवर्ग के ही अन्य सामान्य उम्मीदवारों से पूर्ति की जायेगी। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र कमांक 1221/2471/2013/10–1 दिनांक 31–05–2013 के अनुसार क्षैतिज आरक्षण के पद अग्रेषित नहीं किये जायेगें।

6/ वन वृत्त स्तर की वरीयता सूची बनाने के लिए वन वृत्त में शामिल सभी जिलों के अभ्यार्थियों की समेकित सूची विभिन्न जिलों के चयनित अभ्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर बनाया जाना चाहिए तथा इस प्रकार व्यापम की विभिन्न जिलों की मेरिट को समेकित करते हुए वन वृत्त में सभी वनरक्षकों की परस्परिक वरीयता सूची तैयार की जाना चाहिए।

7/ वन मुख्यालय से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है कि चयनित उम्मीदवार संबंधित जिले के नोडल वनमण्डलाधिकारी से सभी मूल अभिलेखों के साथ नियुक्ति हेतु तत्काल सम्पर्क करें। समस्त औपचारिकता के बाद वनरक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र माह जून 2016 में पूर्ण की जाना चाहिए। उपरोक्तानुसार नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी अभ्यार्थी रिक्त पद पर दिनांक 20–6–2016 के पूर्व उपस्थित हो जाये। नियुक्ति किये गये पदों की जानकारी दिनांक 6, 13, 20 एवं 27 जून 2016 की स्थिति में संलग्न प्रपत्र में वन मुख्यालय को ई–मेल के माध्यम से भेजी जाना चाहिए।

संलग्नः 1. अभ्यार्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची.

2. प्रपत्र.– अ

(सतीश त्यागी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.–II)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठा0कमांक/स्था.02/2325 भोपाल,दिनांक 27.05.16

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी/अनु. एवं विस्तार/मा.सं.वि./कैम्पा/कार्य आयोजना/उत्पादन) वन विभाग, मध्यप्रदेश
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन विभाग, म0प्र0 भोपाल
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी/अनु.एवं विस्तार/का.आ.) म.प्र.
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन/वन्यप्राणी) म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.–II)
मध्यप्रदेश भोपाल
27.05.2016